TheWomen Workforce (Support and Welfare) Bill, 2025-Introduced*h

श्रीमती स्मिता उदय वाघ **(**जलगांव**) :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि कामकाजी महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कामकाजी महिलाओं को क्रेच सेवा, मनोरंजन सुविधाएं, मातृत्व लाभ, छात्रावास और परिवहन सहायता जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों, तथा सरकारी प्रतिष्ठानों, बैंकों और पत्तनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों, साथ ही कारखानों, खानों, बागानों, कृषि भूमि, फलोद्यानों और ऐसे अन्य कार्य स्थलों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने हेतु नियोक्ताओं द्वारा कल्याणकारी उपायों को अधिदेशित करना; तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष**:** प्रश्न यह है:

कि कामकाजी महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कामकाजी महिलाओं को क्रेच सेवा, मनोरंजन सुविधाएं, मातृत्व लाभ, छात्रावास और परिवहन सहायता जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों, तथा सरकारी प्रतिष्ठानों, बैंकों और पत्तनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों, साथ ही कारखानों, खानों, बागानों, कृषि भूमि, फलोद्यानों और ऐसे अन्य कार्य स्थलों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने हेतु नियोक्ताओं द्वारा कल्याणकारी उपायों को अधिदेशित करना; तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती स्मिता उदय वाघ**:** अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं ।